

23
12-13 PM
23/4/14
OK
23/4/14

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए 18 - सिवान संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम शेना शाहाब

पति/पत्नी/पति का नाम मोहम्मद शाहाकुशीन

उसका डाक का पता ग्राम-को० - प्रतापपुर, थाना- हुसैनगंज, जिला - सिवान

उसका नाम 18 - सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट 108 -

रघुनाथपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 19 में क्रम सं०

223 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम परमात्मा राम है जो 18 - सिवान

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट 107 - 21 दरीली विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 215 में क्रम सं० 236

पर प्रविष्ट है।

परमात्मा राम

तारीख 23.4.2014.

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिएसंसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित करते हैं ।
अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक पता

उसका नामसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र *(में समाविष्ट.....
.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक.....में क्रम संख्यांक
पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक				पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने 41 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

[नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में राष्ट्रीय जनता दल दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में लागू नहीं दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है / मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में

(i) लागू नहीं

(ii) लागू नहीं

(iii) लागू नहीं हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर देवनागरी लिपि (हिन्दी) (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं लागू नहीं **जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो लागू नहीं राज्य के उस राज्य में के लागू नहीं (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ***जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ****नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

Harish Shahab
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

तारीख 23.4.2014.

* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप की दशा में "समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

*** लागू न होनेवाले शब्द काट दीजिए।

**** जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें - "मान्यताप्राप्त राजनैतिक" दल से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

15

भाग-3 क
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा)

क्या अभ्यर्थी को-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या ☒ हाँ / ☐ नहीं

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके)

लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्यांक.....

शून्य

(ii) पुलिस थाना

(थाने)..... जिला (जिले)..... राज्य.....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/ (तारीखें)

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारवासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें)

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)

स्थान :

तारीख : 23.4.2014

Hameed Sheikh
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

भाग — 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं० — २५

यह नामनिर्देशन मुझे/भरे कार्यालय में २३-०४-१५ (तारीख) को 12.13PM बजे

* अभ्यर्थी/प्रत्यक्षक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख २३-०४-१५

* जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए।

रिटर्निंग आफिसर

निर्वाची पदाधिकारी

18 विधान संवैधानिक निर्वाचन क्षेत्र

भाग — 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 36 के

अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ : —

तारीख

रिटर्निंग आफिसर

(छिटा)

शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

भारत के संविधान का अनुच्छेद 84 (क)

संसद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्षी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

" मैं 21/12/14 जो लोक सभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्षी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूं * ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की सम्प्रभुता और अखंडता अधुण रखूंगा।"

जो लागू न हो उसे काट दें।

अभ्यर्षी के हस्ताक्षर और

स्पष्ट अक्षरों में उसका नाम

Heena Sharma

श्री/श्रीमती 21/12/14

आज दिनांक 22 माह 12

वर्ष (स्थान) पर 12:12 PM

बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नामनिर्देशित अभ्यर्षी

18 विधान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
SIWAN SCORE, SIWAN

COURT FEE

Authorization No. 2213



STAMP IN

003

0005

37416

INDIA

****Zero-Zero-Zero-Zero-Drum-Zero-Zero**



Sharma
Western Public Signs

24 4114

“प्ररूप 26”
(नियम 4क देखिए)

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 18—सिवान लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

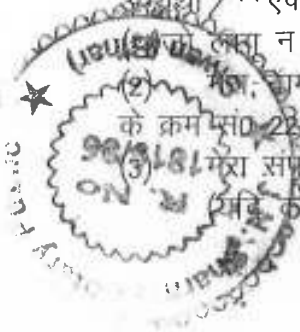
मैं हेना शहाब **पत्नी मोहम्मद शहाबुद्दीन आयु 41 वर्ष, जो ग्राम+पोस्ट—प्रतापपुर,
थाना—हुसैनगंज, जिला—सिवान (डाक का पूरा पता लिखें) की निवासी हूँ और उपरोक्त
निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ, शपथ पत्र निम्नलिखित कथन करती हूँ

(1) मैं राष्ट्रीय जनता दल (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

न हो उसे काट दे)

(2) **मैत्र. चाम** 108, रघुनाथपुर (बिहार) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 19 के क्रम सं० 223 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं० 9431216786 है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) लागू नहीं है।



- (4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

क्र० सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	आयकर विवरणी में अपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1	स्वयं	ANUPS8348G	2012-14	2249760.00
2	पति	ANUPS8345M	2012-13 वित्तीय वर्ष	कारा में विगत कई वर्ष से अवरुद्ध है आय-शून्य
3	आश्रित-1	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
4	आश्रित-2	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
5	आश्रित-3	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं

- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास में दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभ्युक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभ्युक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

		निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास में दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है।
(क)	मामला/अभ्युक्त सूचना रिपोर्ट संख्या सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	हुसैनगंज, थाना काण्ड सं०-114/05 जिला-सिवान बिहार

(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	25(1-B)a, 25 (1-B)b, 26(4) 35 arms act, आगनेशस्त्र की अनुज्ञप्ति रद्द होने के बाद जमा नहीं करने के कारण प्राथमिकी दर्ज हुई।
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	मुख्य न्यायिक दण्डा०, सिवान संज्ञान तिथि-06-09-2008
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	आरोप गठन नहीं हुआ।
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	आरोप गठन के विरुद्ध उच्च न्यायालय पटना में अपील हुआ।
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	हाँ, माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान आदेश दिनांक-06.09.2008 को निरस्त करते हुए आरोप मुक्त कर दिया।

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है

(पूर्वोक्त - लागु नहीं

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न) :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागु नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	लागु नहीं
(क)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागु नहीं

6. मुझे किसी आपराध (अपराधों) लोक प्रतिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है :



यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागु नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागु नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागु नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	लागु नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ।

अ. जंगल आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 — संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 — जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा ती तारीख, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 — सूचीबद्ध कंपतियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 — यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 — रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने हैं।



क्र०स०	विवरण	स्वयं	पति मो० शहाबुद्दीन	आश्रित-1 ओशामा शहाब	आश्रित-2 हेरा शहाब	आश्रित-3 तसनीम शहाब
(i)	हाथ में नकदी	1,50,000.00	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(ii)	बैंक खाते में जमा के ब्यौरे (नयत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिमें बचत खाते भी है,) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	संविग खाता एक्सिस बैंक, सिवान में जमा 44741-89 एक्सिस बैंक करेन्ट एकाउन्ट में जमा-1,50,000	ज्ञात नहीं	A/c No.34057550, Balance Rs. 102,771.00 AXIS Bank	A/c No.32476672, Balance Rs. 33676.56 AXIS Bank	लागु नहीं
(iii)	कंपनियों/पारसपर रक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरो/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास या अन्य कोई भी व्यक्ति	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं



	ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम					
(vi)	मेटरियल/वायुयान/घाट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	लागु नहीं	1. टाटा सफारी-1999 - 2 लाख 2. मारुतिजेन 1997 एक लाख बी.आर. 40ए-786 डी.एल.-8 सी.ई.-786 क्रमशः	बी.आर. 29 एच 1330 हीरोहोण्डा स्प्लेण्डर 50,000- 2011 बी.आर. -01-बी एफ-2710 बुलेट-2013- 1,05,000.00	लागु नहीं	लागु नहीं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	115 ग्राम सोना 3 लाख 45 हजार स्वयं का	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियों जैसे कि दावों/हित का मूल्य	रु. 2249760.00	विगत कई वर्षों से पति के कारा में रहने के कारण कोई अर्जन नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(x)	समग्र कुल मूल्य	28,94,760.00	3,00,000.00	2,57,771.00	33,676.56	लागु नहीं

आ. स्वास्वर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पणी 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।



क्र०सं०	विवरण	स्वयं	पति मो० शहाबुद्दीन	आश्रित-1 ओशामा शहाब	आश्रित-2 हेरा शहाब	आश्रित-3 तसनीम शहाब
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (सख्याएँ)	हरपुर कोटवा सिवान में सर्वे नं०- 1450, 13 बिगहा, मूल्य 30,00,000.00	हरपुर कोटवा, सिवान सर्वे नं०-1450, 1451, 1490 15 बिगहा 8 कट्ठा 10 धूर	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	13 बिगहा	15 बि० 8 कट्ठा 10 धूर	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	05.04.2000	19.12.2003 02.01.2004 05.04.2000	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	47,500.00	95,500.00	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम में भूमि पर कोई विनिधान	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	55,00466.00	65,26,514.00	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं



(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	1. नया किला, सिवान, सर्वे नं0-2920 रकबा 2 कट्ठा 10 धूर 2. मुहल्ला- विजयहाता, सिवान में प्लॉट नं0-118, 121, 117, 122 रकबा 3 कट्ठा 3. नया किला सिवान सर्वे नं0-3102, रकबा-2 कट्ठा 4. रामनगर, सिवान में प्लॉट नं0-5848, रकबा-1 कट्ठा 5. नया किला, नवलपुर, सिवान प्लॉट नं0-3102/1, 3094, 1 कट्ठा 4 धूर 16 धूरकी 6. अनिशाबाद, पटना प्लॉट नं0 139 एवं 141, दो कट्ठा	1. नया किला, सिवान सर्वे नं0-2920 रकबा 2 कट्ठा, नया किला, सिवान सर्वे नं0- 3102 19 धूर	अनिशाबाद, पटना प्लॉट 139, 141, 2 कट्ठा	लागु नहीं	लागु नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में वर्ग मीटर)	19,122 वर्ग फीट	4819 वर्ग फीट	324059	लागु नहीं	लागु नहीं



	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	13.03.2001, 13.03.2013, 24.05.2012, 22.01.2010, 05.02.2011, 11.03.201 क्रमशः	13.04.2004, 13.10.2000 क्रमशः	11.03.2011	लागु नहीं	लागु नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	22 लाख 61 हजार 4 सौ रु०	1 लाख 63 हजार	6 लाख	लागु नहीं	लागु नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1,72,99520.00	3840900.00	72 लाख	लागु नहीं	लागु नहीं
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	1. जय प्रकाश नगर, सिवान होल्डिंग नं०-23/13-7 धूर 2. नया किला, सिवान 2 कट्ठा 5 धूर होल्डिंग नं०-530 3. कचहरी रोड, सिवान होल्डिंग नं०-536, 132 (सी.) 15 धूर 15 धुरकी 4. दक्षिण टोला, सिवान 11/241 कट्ठा	1. जय प्रकाश नगर, सिवान 3125, 2 कट्ठा 2. दक्षिण टोला, सिवान हो० नं०-12/241, 2 कट्ठा 6 धूर 3. शास्त्री नगर, सिवान 1 कट्ठा 1.5 धूर प्लाट 1638	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं



	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	3627.60 वर्गफीट	8707 वर्गफीट	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	8627.60 वर्गफीट	8707 वर्गफीट	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	स्वआर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	27.07.98, 12.02.01, 19.01.96, 19.11.02 क्रमशः	19.01.96, 16.06.99, 18.01.2000, 05.07.2000 क्रमशः	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	4 लाख 36 हजार	4 लाख 58 हजार	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1 करोड़ 36 लाख 651-06	1,56,77008.00	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग में कुल माप)	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	स्वआर्जित संपत्ति की दशा में क्रम की तारीख	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	क्रम के समय भूमि की लागत (क्रम का दशा में)	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं



	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिर्धान	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	36465092.00	26944422.00	7200000.00	लागु नहीं	लागु नहीं

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक से समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्र०सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/ संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिक्रे समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :-

(क) स्वयं समाज सेवा, गृहणी

(ख) पति समाज सेवा एवं राजनीति

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

स्नातक-विद्याभवन महिला महाविद्यालय, सिवान (बाबा भीम राव अम्बेडकर, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर) वर्ष 1999 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)



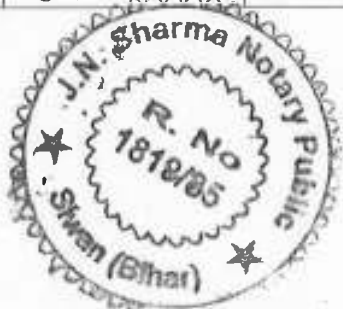
भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	हेना शहाब		
2	डाक का पता	ग्राम-प्रतापपुर, पोस्ट-प्रतापपुर, थाना-हुसैनगंज-जिला-सिवान		
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	18, लोक सभा, बिहार		
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	राष्ट्रीय जनता दल		
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य		
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या मिजने न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य		
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1)ए उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य		
7		शून्य	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी - हेना शहाब	ANUPS8348G	2012-13 (वित्तीय वर्ष)	2249760.00
	(ख) पति- डा0 मो0 शहाबुद्दीन	ANUPS8345M	2012-13 (वित्तीय वर्ष)	शून्य (कारा में लगातार वर्षों से बन्द)
	(ग) आशिक	शून्य	शून्य	शून्य



8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क		26,84,760	30000.00	1,55,000.00	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां					
i	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	कुल 27,44,900.00	7,16500.00	6 लाख	शून्य	शून्य
ii	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	कुल 3,64,65092.00	269,44422.00	72 लाख	शून्य	शून्य
	(क) स्वर्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	3,64,65092.00	269,44422.00	72 लाख	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य		
9	दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
i	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



	ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11		उच्चतम शैक्षणिक अर्हता : स्नातक, विद्याभवन महिला महाविद्यालय (बाबा भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय बिहार) मुजफ्फरपुर, वर्ष 1999 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)					



सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है,

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 भाग ख की मद 8, 9 और 10 उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारिख 22.04.2014 को सत्यापित किया गया।

I, identify the signature of the deponent before the notary public and the notary public's signature in my presence before me. Issued at 22/04/14, Advocate's Office.

अभिसाक्षी

टिप्पणी 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणी 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 4. शपथपत्र या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पणी 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP (C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर गये हैं अगर ऐसा नहीं किया गया है तो



निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की सवीक्षा के समय नाम निर्देशन के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पणी 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं - 9431216786

मेरा ई-मेल आईडी0 (अगर कोई हो) हैं - शून्य

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउण्ट्स (अगर कोई हो) है - शून्य

I identify the deponent who
has signed/ put his/ her &
L.T.I./ R.T.I in my Presence
J. N. Sharma
Advocate Shivan
22/4/14
Regd No 339/29

J. N. Sharma
R. No 1875
85

22/4/14

